

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना  
उनवानी किरण कंवर आदि बनाम पान कंवर आदि मु.सं. 19/2013

नम्बर व तारीख अहका  
इस हुकम की तामील  
में जारी हुए

2025 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभयपक्ष उपस्थित।  
वकूलाय उभयपक्ष की प्रकरण में बहस सुनी गई। वास्ते  
आदेश मिसल दिनांक 16.05.2025 को पेश हो।

2025 वास्ते आदेश मिसल आज पेश हुई। वकूलाय उप0।  
प्रकरण में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी हैं। दौराने बहस  
वकूलाय उभयपक्ष ने मुताबिक राजीनामा वादपत्र डिक्री  
फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,  
पेशशुदा राजीनामा एवं पेशशुदा शपथ-पत्र का  
अवलोकन किया गया एवं वकूलाय उभयपक्ष की बहस  
पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वकूलाय उभयपक्ष  
मुताबिक राजीनामा वादपत्र डिक्री फरमाने से सहमत  
हैं। अतः वाद वादीगण न्यायहित में स्वीकार किया  
जाकर मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता हैं।  
राजीनामा अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार  
नीमकाथाना मुताबिक राजीनामा एवं मौके के अनुसार  
तरमीम शुद्ध किया जाना सुनिश्चित करें तथा तदनुसार  
पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर  
नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर  
हो। यह निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 को मेरे  
हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में  
सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)

उपखण्ड अधिकारी,  
नीमकाथाना

# डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)  
बइजलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

1. किरण कंवर पत्नी स्व0 गुमानसिंह वगैरह

—वादीगण

बनाम

1. पान कंवर पत्नी स्व0 बहादुरसिंह वगैरह

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत रिकार्ड दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 19 सन् 2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस व हाजिरी श्री सूरजभान पूनियां एडवोकेट मिनजानिब मुद्ई रूबरू श्री मुरारी लाल शर्मा, श्री रामजीलाल गुर्जर, श्री श्रवण कुमार शर्मा, श्री हरिश उज्जवल एडवोकेट मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादीगण न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता हैं। राजीनामा अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार नीमकाथाना मुताबिक राजीनामा एवं मौके के अनुसार तरमीम शुद्ध किया जाना सुनिश्चित करें।

.निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें।  
बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16 माह 05 सन् 2025 को जारी की गई।



दस्तखत: राजवीर सिंह यादव  
ओहिदा: उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)

मुद्ई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक  मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक  मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।